सत्रवाद सं0 138/18

आदेश

दिनांक 08.05.2019

प्रस्तुत वाद आज अभियुक्त राज कुमार पंडित एवं महानंद ठाकुर की ओर से दिनांक 20.08.2018 को धारा 227 द0प्र0स0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु निश्चित है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण निर्दोष है उन्होने कोई अपराध नहीं किया है, प्रार्थीगण को जमीनी विवाद एवं ग्रामीण राजनीति के कारण झुठा फंसाया गया है, प्रार्थीगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है, इनके विरूद्ध आरोप गठन करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है, प्रार्थीगण का नाम मुकदमा में सर्वप्रथम कथित पिड़ीता के धारा 164 द0प्र0स0 के अंतर्गत दिये गये बयान में आया है जो तथाकथित घटना तिथि 26.06.2017 के करीब तीन माह बाद 18.09.2017 को दर्ज किया कराया गया है तथा दोनों पक्ष के बीच जमीन संबंधी विवाद है, सूचिका पढी लिखी महिला है तथा प्रार्थीगण सूचिका के पड़ोसी है जिन्हें पूर्व से जानती है, परंतु प्राथमिकी में अभियुक्त का नाम नहीं दर्ज करायी है, काण्ड दैनिकी में भी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोनों पक्षों के बीच पूर्व से जमीनी एवं अन्य विवाद चल रहा है, पिड़ीता के मेडिकल जांच में चिकित्सक द्वारा कोई जोर जबरदस्ती या बलात्कार को कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है, घटना तिथि के पूर्व से ही प्रार्थी महानंद ठाकुर बीमार था जिसका उसका ईलाज सहरसा में चल रहा था तथा प्रार्थी राज कुमार पंडित एवं सूचिका के परिवार के बीच अधिकार वाद भी चल रहा है,

में काण्ड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप नहीं बनता है और पुलिस ने गलत रूप से धारा 302, 201 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित कर दिया। पुलिस के समक्ष दिये गये गवाहों ने भी घटना का समर्थन नहीं किया है और अभियुक्तों का नाम घटना कारित करने वालों में नहीं लिया है, गवाहों के कुछ बयान का जिक्र आवेदन में भी किया गया है। अभिलेख पर दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध कोई साकारात्मक साक्ष्य नहीं है और वाद की कार्यवाही आगे बढाने हेतु अभिलेख पर प्रर्याप्त साक्ष्य नहीं है । अतः उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को आरोपित धाराओं से मुक्त किया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक प्रतिउत्तर दाखिल कर निवेदन किया कि काण्ड दैनिकी में दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 302, 201 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गठन करने हेतु प्रर्याप्त साक्ष्य हैं तथा मूल वाद सत्रवाद 101/13 में न्यायालय में उपस्थित साक्षियों ने भी दोनों अभियुक्त का नाम घटना कारित करने वालों में लिया है। बचाव पक्ष द्वारा दाखिल आवेदन में कुछ गवाहों का पुलिस के समक्ष दिये गये गवाही का जिक्र किया गया है, वह सब विचारण का विषय है। फलस्वरूप बचाव पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन खारिज करते हुए दोनों अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप गठन किया जाय।

उभय पक्षों को सूना अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद सूचक सिता राम सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर धीरज कुमार, धीरज कुमार के माता पिता एवं भाई सुरज कुमार के विरूद्ध धारा 304बी0, 120बी0, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत बलुआ बाजार थाना काण्ड सं0 34/12 दर्ज किया गया। बाद में धारा 302/201 भा0द0वि0 का आरोप जोड़ा गया । अनुसंधान पश्चात अनुसंधानकर्ता ने धीरज कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र 302, 201 भा0द0वि0 के अंतर्गत समर्पित किया तथा शेष प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा। अभियुक्त

धीरज कुमार के विरूद्ध धारा 302, 201, 304बी0 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोपों का गठन किया गया तथा अभियोजन की ओर से उस वाद में सूचक, चिकित्सक, प्रथम अनुसंधानकर्ता त्रृषिराज सिंह सहित कुल 07 गवाहों की गवाही हो चुकी है जिसमें साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। बाद में अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्त सुरज कुमार और सत्येन्द्र प्रसाद सिंह के विरूद्ध पूरक आरोप धारा 302, 201 भा0द0वि0 के अंतर्गत समर्पित किया गया और उसमें धीरज की मां उषा देवी के विरूद्ध साक्ष्य की कमी दिखाया गया। विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 302, 201 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया और अभियुक्त उषा देवी को इस काण्ड से उन्मुक्त कर दिया गया तथा अभिलेख दिनांक 18.09.2017 के आदेशानुसर विद्वान सत्र न्यायालय में दौरा सुपूर्द किया गया, जो इस न्यायालय में दिनांक 25.11.2017 को प्राप्त हुआ तथा अभियुकतगण की ओर से दिनांक 31.01.2018 को आरोप से मुक्ति का आवेदन दाखिल कर दिया गया।

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अभी आरोप गठन का स्टेज है और इस समय केवल यही देखना है कि काण्ड दैनिकी में अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 302, 201 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गठन करने हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य और सामग्री है कि नहीं। मौजूदा वाद बलुआ बाजार थाना काण्ड सं0 34/12 का पृथक वाद है तथा मूल वाद जो अभियुक्त धीरज कुमार से संबंधित है, में एक अनुसंधानकर्ता को छोड़कर सभी साक्षियों का साक्ष्य हो चुका है और साक्षियों ने कंटेस्ट किया है। काण्ड दैनिकी में भी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है और मौजूदा अभियुक्तों का नाम घटनाकारित करने वालों में लिया है। बचाव पक्ष कि ओर से दाखिल आवेदन में काण्ड दैनिकी में साक्षियों के अंकित ब्यान का कुछ विवरण दिया गया है और कहा गया कि कोई साकारात्मक साक्ष्य नहीं आया है। इस बिन्दु पर न्यायालय का मंतव्य है कि इस स्टेज पर साक्षियों के दिये गये बयान का सुक्ष्म परीक्षण नहीं करना है तथा इन बिन्दुओं पर विचारण के पश्चात अंतिम निर्णय के समय विचार किया जाऐगा। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे प्रतित हो कि मौजूदा दोनों अभियुक्त संज्ञान आदेश के विरूद्ध कहीं वरीय न्यायालय में गये हो। फलस्वरूप उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचता है कि अभिलेख और काण्ड दैनिकी में अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित धाराओं में आरोप गठन करने हेतु प्रथम दृष्टया प्रर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। तदनुसार बचाव पक्ष की ओर से दिनांक 31.01.2018 को धारा 227 द0प्र0स0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन न्यायहित में खारिज किया जाता है और अभियुक्तों को निर्देश दिया जाता है कि अगली तिथि को न्याायालय में आरोप गठन हेतु सदैह उपस्थित रहें।

दिनांक 16.05.2019 वास्ते आरोप गठन हेतु।

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
सुपौल